फर्द अहकाम

गालीराम बनाम रामकुंवरी व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

17/2013

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
23/6/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के सन्दर्भ में निर्णय नहीं सुनाया। लिखाया जा सका। अतः पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 01/07/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
01/07/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस अंतिम के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी अंकित खातेदारी के सन्दर्भ में आधार दस्तावेजात यथा - खसरा गिरदावरी, पॉरशाक दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जबकि वादी द्वारा मिसल हकीयत बन्दोबस्ती सम्वत 1987 व उक्त दस्तावेज के खसरा मिलान ओरफ्त आदि प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत हकीयत बन्दोबस्ती में वादी के पूर्वजों के नाम खातेदारी दर्ज अंकित है जिसके सम्वत 2012 में परिवर्तन का आधार दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि [illegible] खातेदारी के बिना [illegible] के परिवर्तित [illegible] वादी डिक्री किया जाकर [illegible] व प्रतिवादी 7, 8 को, वादग्रस्त भूमि ख.नं. 337, 340, 341, 338/662 कुल रकबा किता 4 कुल रकबा 2.07 है. का खातेदार घोषित किया जाता है। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

कालीराम वनाम रामकुंवरी व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 17/2013

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	01/07/22	विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न है। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति अपर्णा शर्मा (आर.ए.एस)

वाद सं.:– 17/2013 निर्णय दिनांक : 01.07.2022

1. गालीराम पुत्र भूराराम उर्फ भूरिया जाति बलाई
निवासी काली घाटी तहसील आमेर जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. रामकंवरी पत्नी प्रभात (मृतक दौराने वाद)
2. सूजाराम पुत्र प्रभात (मृतक दौराने वाद)

2/1. श्रीराम उर्फ बाबू पुत्र स्व. सूजाराम

2/2. संज्या देवी धर्मपत्नि स्व. श्री सूजाराम जाति गुर्जर
निवासी काली घाटी तहसील आमेर जिला जयपुर।

2/3. रूडी देवी पुत्री स्व. श्री सूजाराम धर्मपत्नि कानाराम जाति गुर्जर
निवासी बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

2/4. सन्ती देवी पुत्री स्व. श्री सूजाराम धर्मपत्नि हनुमान जाति गुर्जर
निवासी बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

2/5. छोटा देवी पुत्री स्व. श्री सूजाराम धर्मपत्नि छीतर जाति गुर्जर
निवासी कालवाड तहसील आमेर जिला जयपुर।

3. सरजू पत्नि स्व. लल्लू
4. काना पुत्र नारायण
5. गोमा उर्फ मोहन पुत्र नारायण

समस्त जाति गुर्जर निवासी काली घाटी तहसील आमेर जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
7. सेडूराम पुत्र भूरा उर्फ भूरिया
8. हनुमान पुत्र भूरा उर्फ भूरिया

समस्त जाति गुर्जर निवासी काली घाटी तहसील आमेर जिला जयपुर।

—तरतीबी प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज [illegible]ाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वाद वादी स्वीकार किया जाता है [illegible] वादी डिकी किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 7 व 8 को ग्राम कालीघाटी तहसील [illegible]मेर जिला जयपुर स्थित वादअधीन भूमि हाल खसरा नम्बरान 337, 338/662, 340, 341 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 2.07 है. का खातेदार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक आमेर
मुख्यालय जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति अपर्णा शर्मा (आर.ए.एस)

निर्णय दिनांक : 01.07.2022

वाद सं.:— 17 / 2013

1. मालीराम पुत्र भूराराम उर्फ भूरिया जाति बलाई
निवासी काली घाटी तहसील आमेर जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. रामकंवरी पत्नी प्रभात (मृतक दौराने वाद)
2. सूजाराम पुत्र प्रभात (मृतक दौराने वाद)

2/1. श्रीराम उर्फ बाबू पुत्र स्व. सूजाराम

2/2. संज्यादेवी धर्मपत्नि स्व. श्री सूजाराम जाति गुर्जर
निवासी काली घाटी तहसील आमेर जिला जयपुर।

2/3. रूडीदेवी पुत्री स्व. श्री सूजाराम धर्मपत्नि कानाराम जाति गुर्जर
निवासी बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

2/4. सन्तिदेवी पुत्री स्व. श्री सूजाराम धर्मपत्नि हनुमान जाति गुर्जर
निवासी बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

2/5. छोटादेवी पुत्री स्व. श्री सूजाराम धर्मपत्नि छीतर जाति गुर्जर
निवासी कालवाड तहसील आमेरं जिला जयपुर।

3. सरजू पत्नि स्व. लल्लू
4. काना पुत्र नारायण
5. गोमा उर्फ मोहन पुत्र नारायण

समस्त जाति गुर्जर निवासी काली घाटी तहसील आमेर जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
7. सेडूराम पुत्र भूरा उर्फ भूरिया
8. हनुमान पुत्र भूरा उर्फ भूरिया

समस्त जाति गुर्जर निवासी काली घाटी तहसील आमेर जिला जयपुर।

—तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती [illegible] निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता वादी : श्री [illegible]

उपस्थित अधिवक्ता प्रतिवादी : श्री [illegible]

निर्णय

वादी की ओर से ग्राम कालीघाटी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि हाल खसरा नं. 337, 338/662, 340, 341 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 2.07 है.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

के सन्दर्भ में घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम कालीघाटी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नं. 238 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा के अभिलिखित खातेदार जीवण वल्द रामू व जैस्या, भूरिया पि. कुशला जाति बलाई थे, जो कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 7 व 8 के पूर्वज थे। जिनकी मृत्यु पश्चात वादी व प्रतिवादीगण 7 व 8 के पिता भूरा उर्फ भूरिया बतौर उतराधिकारी खातेदार हुये तथा भूरा उर्फ भूरिया के पश्चात वादी व प्रतिवादी सं. 7 व 8 खातेदार काबिज काश्त है। वादी व प्रतिवादी सं. 7 व 8 के पूर्वज रामू व कुशला दोनो सगे भाई थे। रामू के एक पुत्र जीवण तथा कुशला के दो पुत्र जैस्या व भूरिया हुये। जिसमें भूरिया अविवाहित फोत हुआ तथा जैस्या के कोई सन्तान नही हुई तथा जैस्या के स्वर्गवास होने पर जैस्या की भूमि उसकी पत्नी नानगी देवी के नाम लगी। नानगी देवी ने भूरा को गोद ले लिया एवं जीवण पुत्र रामू के एक पुत्र बीजा हुआ तथा बीजा के एक पुत्र भूरा उर्फ भूरिया हुआ व भूरा उर्फ भूरिया के तीन पुत्र वादी मालीराम व प्रतिवादीगण सं. 7 व 8 हुये। वादी व प्रतिवादीगण सं. 7 व 8 के पूर्वज सम्वत 1987 से ही काबिज व अभिलिखित खातेदार रहे है। जिनके पश्चात वादी व प्रतिवादीगण सं. 7 व 8 काबिज काश्तकार है तथा लगान सरकारी अदा करते आ रहे है।

भूमि खसरा नं. 238 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा के नवीन खसरा नं. 252 बनाये गये तथा तथा भूमि एकीकरण के दौरान खसरा नं. 252 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नं. 253 रकबा 1 बीघा का एकीकरण कर खसरा नं. 70 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा बनाया गया। तत्पश्चात एकीकरण सेटलमेन्ट होने पर हाल खसरा नं. 337, 338/662, 340, 341 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 2.07 है. बनाये गये है। सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 के पूर्वजों के साथ साजिश करते हुये वादी/वादी के पूर्वजों के अधिकार व कब्जेकाश्त की भूमि को प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 के पूर्वजों के नाम लगा दी गई तथा वादी के पूर्वज का नाम उक्त भूमि से हटा दिया गया, जबकि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 का उक्त भूमि से कोई संबंध नही है, ना ही भू-प्रबन्ध अधिकारीयों को खातेदारी अधिकार समाप्त करने का अधिकार है/था। इस प्रकार सेटलमेन्ट अधिकारीयों का उक्त [illegible] क्षेत्र से बाहर जाकर किया गया कृत्य होने से [illegible] भू-प्रबन्ध अधिकारीयों को राजस्व रिकार्ड इन्द्राज की रिपोर्ट मात्र करना होता है। किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त नही किये जा सकते। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य की कृषि भूमि की खातेदारी समाप्त कर स्वर्ण जाति के सदस्य (प्रतिवादीगण) के नाम कानूनन भी नही दी जा सकती है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

परन्तु फिर भी भू–प्रबन्ध अधिकारीयों ने अनुसूचित जाति के सदस्य वादी/वादीगण के पूर्वज की अभिलिखित खातेदारीता को समाप्त करते हुए प्रतिवादीगण/प्रतिवादीगण के पूर्वज (स्वर्ण जाति) के नाम अंकित कर दी गई। जो कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का स्वर्था उल्लंघन है। जिससे उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही कानूनन अवैध होने से दुरूस्तनीय है। वादी को उक्त अवेध इन्द्राज की पूर्व में जानकारी नही थी, परन्तु दिनांक 23.01.2004 को प्रतिवादीगण के मौके पर आकर भूमि को दीगर व्यक्तियों को बेचान करने की धमकी/जानकारी देने पर सर्वप्रथम जानकारी होने पर वादकारण उत्पन्न होकर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। जिसके पश्चात अविलम्ब रिकार्ड की नकल लेकर अन्दर मियाद वादपत्र प्रस्तुत किया गया है एवं वरवक्त दावा दायरी प्रतिवादीगण सं. 7 व 8 के बाहर होने/उपलब्ध नही होने से तरतीबी प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। जिनका भूमि वादग्रस्त में बराबर हिस्सा नियत है।

अतः वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 डिक्री किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 7 व 8 को भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नं. 337, 338/662, 340, 341 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 2.07 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वें उल्लेखित उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का विक्रय, हस्तान्तरण व वादी को भूमि से बेदखल ना करें।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. प्रदर्श P-1 :– सत्यप्रति जमाबन्दी सम्वत 2058–61 जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 337, 338/662, 340, 341 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 2.07 है. की खातेदारीता प्रभात पुत्र रामू हिस्सा 1/2 (जो कि कालान्तर में रामकंवरी बेवा प्रभात, सुजाराम पुत्र प्रभात के नाम 1/2 हिस्से के रूप में नामान्तकरण स्वीकृत हुआ) तथा सरजू बेवा लल्लू, काना, गोमा, पि. नारायण हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर के नाम दर्ज अंकित है।

2. प्रदर्श P-2 :– प्रमाणित प्रतिलिपि ... बंदोस्त सम्वत 2008–2027 ... भूमि ... खसरा नं. 238 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा ... खसरा नं. 252 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा व भूमि खसरा ...239 रकबा 1 बीघा नवीन खसरा नं. 253 रकबा 1 बीघा कायम किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

3. प्रदर्श P-3 :– प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण जिसके अनुसार भूमि खसरा नं. 252 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा व भूमि ख.नं. 253 रकबा 1 बीघा के नवीन ख.नं. 70 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा कायम किये गये।

4. प्रदर्श P-4 :– प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल भू प्रबंध विभाग। जिसके अनुसार

5. प्रदर्श P-5 :– मिसल हकीयत बंदोबस्ती सम्वत 1987 जिसके अनुसार भूमि खसरा नं. 238 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा जीवण वल्द रामू हिस्स निस्फ, जैस्या व भूरिया पि. कूशला कौम बलाई हिस्सा बराबर निस्फ के रूप में दर्ज अंकित है।

6. साक्ष्य शपथ पत्र :– (1) वादी मालीराम पुत्र भूराराम (2) गवाह प्रभात पुत्र कुशलाराम बलाई (3) गवाह सतीश कुमार पुत्र प्रभात बुनकर (4) गवाह पूरणमल पुत्र बिरदराम रैगर

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थिति प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण सं. 2 ल. 5 की ओर से जवाब वादपत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादीगण सं. 2 ल. 5 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर अपने जवाब वादपत्र में वर्णित किया गया है कि भूमि वादग्रस्त पर मिन प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज अर्सा दराज से काबिज काश्त व रिकार्डेड खातेदार चले आ रहें है तथा राजस्व रिकार्ड प्रारम्भ से ही प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम तथा उनके पश्चात प्रतिवादीगण के नाम चला आ रहा है। वादी का विवादित भूमि से कभी कोई संबंध नही रहा है, ना ही भूमि कभी वादी अथवा वादी के पूर्वजों के नाम दर्ज अंकित रही है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब वादपत्र में यह भी उल्लेखित किया गया है कि वादी को कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है तथा वादी द्वारा राज्य सरकार को दावा दायरी से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस भी नही दिया गया है। जिससे वाद वादी पोषणीय नही है। अतः जवाब वादपत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जावें।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब वादपत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. प्रदर्श D-1 :– सत्यापित प्रति [illegible] 20[illegible]-27 जमाबन्दी सम्वत 2028–31 [illegible] नं. 70 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा प्रतिवादीगण के पूर्वज [illegible], नारायण पी. रामू जाति गुर्जर के नाम दर्ज अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

2. प्रदर्श D-2 :– **सत्यापित प्रति खसरा गिरदावरी सम्वत 2012–2015** जिसके अनुसार भूमि खसरा नं. 252 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नं. 253 रकबा 1 बीघा पर प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कब्जाकाश्त दर्ज अंकित है।

3. प्रदर्श D-3 :– **सत्यापित प्रति खसरा गिरदावरी सम्वत 2016–2019** जिसके अनुसार भूमि खसरा नं. 252 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नं. 253 रकबा 1 बीघा पर प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कब्जाकाश्त दर्ज अंकित है।

4. प्रदर्श D-4 :– **सत्यापित प्रति खसरा गिरदावरी सम्वत 2029–2032** जिसके अनुसार भूमि खसरा नं. 70 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा पर प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कब्जाकाश्त दर्ज अंकित है।

5. प्रदर्श D-5 :– **सत्यापित प्रति खसरा गिरदावरी सम्वत 2033–2036** जिसके अनुसार भूमि खसरा नं. 70 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा पर प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कब्जाकाश्त दर्ज अंकित है।

6. प्रदर्श D-6 :– **सत्यापित प्रति खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2008–2027** जिसके अनुसार भूमि खसरा नं. 252 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा 253 रकबा 1 बीघा किस्म बारानी सोयम के कृषक के कॉलम में सीवायचक लगानी के रूप में दर्ज अंकित है।

7. प्रदर्श D-7 :– **सत्यापित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2024–27** जिसके अनुसार भूमि खसरा नं. 70 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज अंकित है।

8. प्रदर्श D-8 :– **सत्यापित प्रति मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध** जिसके अनुसार भूमि खसरा नं. 70 के नवीन खसरा नं. 337, 338/662, 340, 341 होना प्रमाणित है तथा भूमि खसरा नं. 252 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नं. 253 रकबा 1 बीघा के नवीन खसरा नं. 70 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा होना प्रमाणित है।

9. साक्ष्य शपथ पत्र :– (1) प्रतिवादी गोमा पुत्र नारायण (2) गवाह पांचूराम पुत्र बिंजारमा (3) गवाह ला[illegible] छोटूराम बलाई

[illegible] :–

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार [illegible] 338/662 कुल किता 4 1 आया भूमि विवादग्रस्त खसरा नं. 337, [illegible] व 8 खातेदार काश्तकार कुल रकबा 2.07 है. के वादी व प्रतिवादी सं. [illegible] घोषित होने के अधिकारी है।

–वादी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested

2 आया सैटलमेन्ट विभाग ने वादी के पूर्वजों के हक व अधिकार की भूमि को बिना किसी हक व अधिकार के प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के पूर्वजों के नाम लगा दी जो कि अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर किया गया कार्य है।

—वादी

3 आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

—वादी

4 आया वाद बिना कारण पेश किया गया होने से खारिज योग्य है।

—प्रतिवादी 2 से 5

5 आया वाद राज्य सरकार के खिलाफ 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में चलने योग्य नही है।

—प्रतिवादी 2 से 5

6 अनुतोष ?

प्रथम तनकीयात के कम में वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र वादी मालीराम पुत्र भूराराम, गवाह प्रभात पुत्र कुशलाराम बलाई, गवाह सतीश कुमार पुत्र प्रभात बुनकर, गवाह पूरणमल पुत्र बिरदराम रैगर के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करवाये गये तथा प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिवादी गोमा उर्फ मोहन पुत्र नारायण, गवाह पांचूराम पुत्र बिंजारमा गुर्जर, गवाह लालाराम पुत्र छोटूराम बलाई, विकम सिंह पुत्र रामपाल गुर्जर के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करवाये गये। जिसके उपरान्त पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई तथा उक्त कम में अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस अन्तिम सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों, तथ्यों, तर्को व लिखित बहस के आधार पर प्रकरण का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है :—

तनकी सं. 1 :— आया भूमि विवादग्रस्त खसरा नं. 337, 340, 341 व 338/662 कुल किता 4 कुल रकबा 2.07 है. के वादी व प्रतिवादी [illegible] घोषित होने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी [illegible] वादी पर थी। जिसके कम में वादी [illegible] प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी 5, मिसल हकीयत बन्दोबस्ती सम्वत 1987 से यह प्रमाणित होता है कि भूमि खसरा नं. 238 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा वादी के पूर्वजों जीवण वल्द रामू व जैरया, भूरया

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

पी. कुशाल जाति बलाई के नाम खातेदारी में दर्ज अंकित रही है तथा वादी साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी 2 मिलान क्षेत्रफल से भी यह सिद्ध होता है कि उक्त भूमि खसरा नं. 238 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा के नवीन खसरा नं. 252 कायम किये गये है। जिसके कालान्तर में नवीन खसरा नं. 70 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा कायम किये गये जो कि प्रदर्श पी 3 मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण से प्रमाणित होता है तथा उक्त खसरा नं. 70 से नवीन खसरा नं. 337, 338/662, 340, 341 (जो कि हाल खसरा नम्बरान हैं) कायम किये गये है। इस प्रकार वादी साक्ष्य दस्तावेज से यह प्रमाणित होता है कि भूमि वादग्रस्त वादी के पूर्वजों के नाम काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही रही है तथा उक्त भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम दर्ज रही है। जो कि काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर प्रतिवादीगण के पूर्वज जो कि स्वर्ण जाति के सदस्य के नाम दर्ज अंकित की गई है। जिसका कोई आधारभूत दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। अतः इस प्रकार यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं. 2 :– आया सैटलमेन्ट विभाग ने वादी के पूर्वजों के हक व अधिकार की भूमि को बिना किसी हक व अधिकार के प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के पूर्वजों के नाम लगा दी जो कि अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर किया गया कार्य है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने की भारिता वादी पर थी। जिसके कम में वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी 5, मिसल हकीयत बन्दोबस्ती सम्वत 1987 से यह प्रमाणित होता है कि भूमि खसरा नं. 238 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा वादी के पूर्वजों जीव[illegible] कुशाल जाति बलाई के नाम खातेदारी में [illegible] अंकित रही है। जो कि कालान्तर में/[illegible] आने पर प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज अंकित रही है। जिसका का कोई आधारभूत दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज से यह सिद्ध होता है कि काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

वादी के पूर्वजों के नाम दर्ज अंकित रही है। जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य भी है। जिससे प्रतिवादीगण द्वारा उक्त इन्द्राज परिवर्तन के आधारभूत दस्तावेज को प्रस्तुत नही किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। वें काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात के दस्तावेजात है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं. 3 :– आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने की भारिता वादी पर थी। यह तनकी, तनकी सं. 1 व 2 की पूरक है चूंकि तनकी सं. 1 व 2 का निस्तारण वादी के पक्ष में किया गया है। जिससे यह तनकी स्वतः ही वादी के पक्ष में तय सिद्ध होती है।

तनकी सं. 4 :– आया वाद बिना कारण पेश किया गया होने से खारिज योग्य है।

इस तनकी को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादीगण पर थी। जिसके कम में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई मान्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वादी को कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ है, जबकि पूर्व में खातेदारी अंकित होने के उपरान्त कालान्तर में खातेदारीता के इन्द्राज में परिवर्तन स्वतः ही एक सक्षम वादकारण है। जो कि साक्ष्य का विषय है। जो कि वादी के प्रस्तुत दस्तावेजात से सिद्ध भी होता है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं. 5 :– आया वाद राज्य सरकार के खिलाफ 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में चलने योग्य नही है।

यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जबकि यह बिन्दु प्रतिवादीगण [illegible] नही होकर प्रतिवादी सं. 6 से संबंधित [illegible] प्रतिवादी सं. 6 द्वारा प्रस्तुत की जानी [illegible] थी। प्रतिवादीगण को उक्त प्रतिवादी सं. 6 की ओर से आपति प्रस्तुत करने का अधिकार नही हैं। अतः यह बिन्दु प्रतिवादीगण 1 ता. 5 के विरूद्ध तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी 5, मिसल हकीयत बन्दोबस्ती सम्वत 1987 से यह प्रमाणित होता है कि भूमि खसरा नं. 238 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा वादी के पूर्वजों जीवण वल्द रामू व जैस्या, भूरया पी. कुशाल जाति बलाई के नाम खातेदारी में दर्ज अंकित रही है तथा वादी साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श पी 2 मिलान क्षेत्रफल से भी यह सिद्ध होता है कि उक्त भूमि खसरा नं. 238 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा के नवीन खसरा नं. 252 कायम किये गये है। जिसके कालान्तर में नवीन खसरा नं. 70 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा कायम किये गये जो कि प्रदर्श पी 3 मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण से प्रमाणित होता है तथा उक्त खसरा नं. 70 से नवीन खसरा नं. 337, 338/662, 340, 341 (जो कि हाल खसरा नम्बरान है) कायम किये गये है। इस प्रकार वादी साक्ष्य दस्तावेज से यह प्रमाणित होता है कि भूमि वादग्रस्त वादी के पूर्वजों के नाम काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही रही है तथा उक्त भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम दर्ज रही है। जो कि काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर प्रतिवादीगण के पूर्वज जो कि स्वर्ण जाति के सदस्य के नाम दर्ज अंकित की गई है। जिसका कोई आधारभूत दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा जो साक्ष्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है। वें सभी काश्तकारी अधिनियम कें प्रभाव में आने के पश्चात के दस्तावेजात है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त परिवर्तित इन्द्राज के आधारभूत दस्तावेजात को प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे प्रतिवादी पक्ष की खातेदारी अधिकारीता की अधिकारिक/आधारभूत पुष्टि नही होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा तदनुसार वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 7 व 8 को ग्राम कालीघाटी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादअधीन भूमि हाल खसरा नम्बरान 337, 338/662, 340, 341 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 2.07 है. का खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(फास्ट ट्रेक) आमेर
न्यायालय जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested